

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-अर्जन प्रशाखा
अधिघोषणा

संख्या : आर0 पटना, दिनांक :

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव मुरसंडी, (चादर नं०-04) थाना नं०-209, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अतिरिक्त 2x195 मेगावाट इकाई एवं न्यू एस ड्राईक निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव मुरसंडी, (चादर नं०-04) थाना नं०-209, अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 1.20 (एक एकड़ बीस डिसमिल) एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-
अर्जनाधीन अंश खेसरा सं०-3971, 3979, 3980, 3981, 3984, 3985, 3998, 3999, 4002, 4004 एवं 4007.

चौहद्दी

- उत्तर - अर्जनाधीन अंश खेसरा सं०-4008, 4006, 4004, 4000, 3995, 3984, 3979, 3980 एवं 3981.
पूरब - अर्जनाधीन अंश खेसरा सं०-4006, 4004, 4002, 4000, 3999, 3998, 3984, 3979, 3980, 3975, 3974 एवं पूर्ण खेसरा सं०-3977.
दक्षिण - अर्जनाधीन अंश खेसरा सं०-4006, 4002, 4000, 3995, 3994, 3979, 3980, 3981 एवं 3972.
पश्चिम - अर्जनाधीन अंश खेसरा सं०-4004, 4007, 4002, 3999, 3998, 3995, 3984, 3979, 3980, 3981 एवं 3971.

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लैट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(अनुपम कुमार)
समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

—

सरकार के उच्च सचिव
बिहार, पटना।

(P.T.O)

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/9/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।